

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)


क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक 30.11.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2015 को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति हेतु मा0 मंत्री महोदय से प्रशासनिक स्वीकृति इस सप्ताह ली जाकर कार्यशाला आयोजित की जाए। श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, पीपलान्त्री (राजसमंद) को थर्ड पार्टी निरीक्षण में कन्सल्टेन्ट के रूप में शामिल किया जाए।  
(एसई,आईएवाई)
2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है। इस संबंध में आगामी सप्ताह में पंचायतीराज के साथ बैठक रखी जाए। आवास योजना में कम प्रगति वाले 6 जिलों से मुख्यालय पर समीक्षा हेतु बुलाया जाए।
  - आवास योजना में अब तक 97000 रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध 63000 की स्वीकृति जारी कर 49000 परिवारों को प्रथम किश्त रिलीज की गयी। पीएफएमएस में विलम्ब हो रहा है। इस हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।
  - अलवर जिला परिषद के पास 2.50 करोड़ रूपये आधिक्य है, इसी तरह अन्य जिलों से भी आधिक्य राशि को प्राप्त कर मुख्यालय के बैंक खाते में डाले जाने हेतु कार्यवाही करें।
  - अगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आवास योजना के लक्ष्यों की वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए।(एसई,आईएवाई)
3. योजना में वर्ष 2014-15 के सभी स्वीकृतियों हेतु लक्ष्य के अनुरूप समस्त स्वीकृतियाँ जारी करायी जाए तथा अल्पसंख्यक परिवारों के लक्ष्य के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर स्थिति की समीक्षा कर लक्ष्य व्यय करने हेतु भारत सरकार को लिखा जाए।  
(एसई, ग्रा.वि.)
4. 1275 ग्राम पंचायतों में सामग्री टेण्डर नहीं हुए है। जिला उदयपुर, अलवर, बांसवाडा एवं जयपुर में सबसे ज्यादा सामग्री के टेण्डर पैन्डिंग है इस हेतु संबंधित सीईओ को शासन सचिव से की ओर से पत्र जारी करावें। आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर दर अनुसूची बने एवं सामग्री की निविदा निर्धारित हों की नियमित समीक्षा की जावे।  
(एसई अभि0 / वित्तीय सलाहकार)
5. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 183 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें।  
( पीडी,एसएपी )
8. बीएडीपी योजना में 40 करोड़ राशि का विशेष प्रोजेक्ट भारत सरकार स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना है। श्री योजना के चयनित गांव का सर्वे प्लान तैयार कराकर शीघ्र स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।



डांग, मगरा, मेवात योजना में राज्य स्तर पर उपलब्ध राशि (20 प्रतिशत) के प्रस्ताव प्राप्त किये जायें। जिसमें श्री योजना के चयनित गांवों के प्रस्तावों को भी शामिल कर स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही की जाये।

(पीडीएसएपी/प्रभारी श्री योजना)

9. डांग, मगरा, मेवात में कन्टीन्जैन्सी को स्पष्ट करने हेतु संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन, वित्तीय सलाहकार एवं योजना प्रभारियों की अलग से बैठक आयोजित की जाए।

(योजना प्रभारी)

10. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी/सार्वजनिक निर्माण विभाग/ब्रिज कारपोरेशन के साथ बैठक आयोजित की जाए तथा नक्शा व टेण्डर के लिए ईओआई जारी किया जाए।

(पीडी एसएपी)

11. विधान सभा के 17 प्रश्न लम्बित है। मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग के -6 व एसएपी अनुभाग के -6 एवं आवास के -3 लम्बित प्रश्नों का निस्तारण कराये।

(योजना प्रभारी)

12. ग्रामीण विकास योजनाओं की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु सबसे कम प्रगति वाले जिलों में अधिकारियों का एक दल भेजा जाए

(योजना प्रभारी)

13. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर पर समीक्षा की जाएगी।

(वित्तीय सलाहकार)

14. मुख्यमंत्री जल संरक्षण अभियान के लिए ग्रामीण विकास की किन किन योजनाओं से राशि दी जा सकती है सूचना प्रेषित की जावे।

(योजना प्रभारी)

6. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें। जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे। गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) हेतु निजी प्रयोगशालाओं की रेट लेकर आवश्यक कार्यवाही करावें।

(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना)

15. जिलों एवं पंचायत समितियों में अभियन्ताओं के पद रिक्त है। उन जिलों एवं पंचायत समितियों में समीपतम जिले एवं पंचायत समितियों के कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने की कार्यवाही की जावे। जिससे कार्य बाधित न हो।

(संयुक्त सचिव, प्रशासन)

16. 15-15 आईसी कॉर्डिनेटर लगाये गये है इनका उपयोग कर योजना का प्रचार प्रसार किया जाए।

(मोएवं मू)

17. सामाजिक अंकेक्षण हेतु अलग से एक प्रतिशत खर्च का प्रावधान हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के साथ बैठक रखी जाए।

(सामाजिक अंकेक्षण)

18. विभिन्न योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करायी जाए।

(एसई, आईएवाई)

19. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कॉल सेंटर का उपयोग विभाग की विभिन्न योजनाओं में किया जाए।

(योजना प्रभारी)

20. आई डब्ल्यू एम एस के माध्यम से रिव्यू किया जाए तथा आगामी बैठकों में सीईओ द्वारा आईडब्ल्यूएमएस के माध्यम से ही प्रजेन्टेशन दिया जाएगा।

(प्रोग्रामर)

21. सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों को कमोन्त करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाये जाए।

(संयुक्त सचिव, प्रशा.)

22. क्षेत्रीय योजनाओं में 2013-14 एवं 2014-15 की स्वीकृतियों के व्यय पर अधिक ध्यान दिया जाए।

23. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ इस सप्ताह बैठक आयोजित की जाए।

(योजना प्रभारी)



परि०निदे० एवं पदेन  
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति० मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोपयूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्रीयोजना।

9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)